बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-2, पटना-800001

कार्यालय-आदेश

श्री संजीव कुमार सिंह, (बि०प्र०से०), उप महाप्रबंधक (प्रशासन), मुख्यालय का स्थानान्तरण हों जाने के फलस्वरुप उनको सी०एम०आर० संग्रहण केन्द्रों का जाँच हेतु निगम मुख्यालय के पत्रांक-13400 दिनांक-30.12.2017 से आवंटित जिला को निदेशानुसार उक्त कार्य पर सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण तथा सी०एम०आर० की जाँच हेतु समीक्षोंपरान्त राज्य खाद्य निगम मुख्यालय में पदस्थापित निम्न पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित जिला हेतु नोडल पदाधिकारी के रुप में नामित किया जाता हैः-

क्र०स	जिला का नाम	नोडल-सह-वरीय पदाधिकारी का नाम एवं मो०नं०-
1	बक्सर	श्री विवेकानन्द झा, मुख्य महाप्रबंधक, जन-वितरण। मो0-9471006628
2	औरंगाबाद	श्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य महाप्रबंधक अधिप्राप्ति। मो0-9431660485
3	रोहतास कैमूर	श्री सुशील कुमार, महाप्रबंधक, जन-वितरण। मो0-9431447164

संलग्न महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बिन्दुओं के आलोक में प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेगें कि विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति कार्य की चक्रीय व्यवस्था सुचारु रुप से संचालित हो एवं इसमें किसी स्तर पर कठिनाई होने पर निगम/ जिला प्रशासन से समन्वय एवं सहयोग प्राप्त कर निराकरण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करेगें। आवश्यकतानुसार समय-समय पर जिला प्रबंधक/जिला सहकारिता पदाधिकारी/पैक्स/व्यापारमंडल/मिल मालिक इत्यादि के साथ बैठक कर समस्यायों का समाधान करने का हरसंभव प्रयास करेगें।

विशेष रुप से सी०एम०आर० संग्रहण केन्द्रों में संधारित आगत-निर्गत एवं भंडार पंजी का तथा भंडारित सी०एम०आर० के गुणवता की जाँच अनिवार्य रुप से करना सुनिश्चित किया जायगा।

क्षेत्रीय भ्रमण एवं जाँच में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों का भी आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करेगें।

प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्य रुप से इस बात पर ध्यान देना है कि पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा किसानों को क्रय धान के विरुद्ध सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य सही रुप से ससमय प्राप्त हो तथा पैक्सों/व्यापारमंडलों को उनके द्वारा जमा सी०एम०आर० के विरुद्ध राशि की प्रतिपूर्ति राज्य खाद्य निगम द्वारा सहजता एवं तीव्रता से होना सुनिश्चित हो।

उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान धान अधिप्राप्ति/जमा सी०एम०आर० की प्रकिया को पारदर्शी एवं किसानों के लिए सरल तथा सुगम बनाया जा सके।

निगम मुख्यालय से निर्गत आदेश ज्ञापांक-13400 दिनांक-30.12.2017 को इस तक यथासंशोधित समझा जाय।

सक्षम प्राधिकार के निदेशानुसार।

12/3

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांकः-02:15:16(अधि0)/2017-2437 दिनांक-12-03-2018

प्रतिलिपिः-संबंधित सभी नोडल पदाधिकारी, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमर को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि नोडल पदाधिकारी को आंवास/वाहन इत्यादि संबंधित आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायेगें।

प्रतिलिपिः-मुख्य महाप्रबंधक,(जन-वितरण/मुख्य महाप्रबंधक,(अधिप्राप्ति)/मुख्य सतर्कता पदाधिकारी)/सभी महाप्रबंधक/ सभी उप महाप्रबंधक/गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

12/3.18

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

M.K. part-2

ज्ञापांकः-02:15:16(अधि0)/2017- 2437 दिनांक, 12-03-2018

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सचिव, खाद्य एवं उंपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/3

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांकः-02:15:16(अधि0)/2017- 2437 दिनांक, 12-03-2018

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12/3

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

M.K, part-2